

बिहार सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग
(उर्दू निदेशालय)

-: आदेश :-

कार्यालय आदेश संख्या - उ०नि०-०९/२०१६१५/उ०नि०, पटना, दिनांक ०५/१०/१६

उर्दू निदेशालय के का०आ०सं०-३६/रा०, दिनांक २८.०४.२०१४ के द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या-६२१६, दिनांक २९.०६.२००६ को उर्दू निदेशालय के लिपिक संवर्ग के लिए अंगीकृत किया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग की उक्त अधिसूचना स्वतः राज्य सरकार के संबंधित लिपिकों पर निर्गत तिथि से प्रभावी है।

विभागीय कार्यालय आदेश संख्या-३६/रा०, दिनांक २८.०४.२०१४ की कंडिका-६ में अंकित "यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से प्रवृत्त होगा", सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना के अनुरूप नहीं रहने के कारण विलोपित करने का निर्णय लिया जाता है। शेष कंडिकाएँ यथा स्थिति प्रभावी रहेगी।

ह०/-

(ब्रजेश मेहरोत्रा)

प्रधान सचिव।

ज्ञाप संख्या-उ०नि०-०९/२०१६७१४/उ०नि०, पटना, दिनांक ०५/१०/२०१६

प्रतिलिपि - महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि - प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि - प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि - प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।


प्रतिलिपि - सभी जिला पदाधिकारी/अनुमंडल पदाधिकारी एवं प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि - सभी कोषागार पदाधिकारी एवं उप कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि - सभी संबंधित उच्च वर्गीय लिपिक/निम्न वर्गीय लिपिक को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि - निदेशक, उर्दू-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/उप निदेशक, उर्दू/राजभाषा पदाधिकारी, उर्दू/लेखा प्रशाखा/बजट शाखा/स्थापना प्रशाखा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि - आई०टी० मैनेजर, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु दी जाती है।


(ब्रजेश मेहरोत्रा) ५/१०
प्रधान सचिव।
०५/१०/१६